आदेश

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3537 **लखनऊ: दिनांक: 23/06/2021**

:अनुमोदित आदेश:

प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ में सम्बद्धता/अनुसम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08.06.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अग्रेषित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य पदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित कार्सों के अग्रेषित पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1881-S.G.S. COLLEGE OF PHARMACY, MATHURA.

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीईद्वारा दीपलिआईद्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT	60	60
3	P.G. DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
4	P.G.DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT	60	60
5	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
6	P.G. DIPLOMA IN WEB DESIGNING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

संस्था एआईसीटीईदीपलिआईद्वारा निर्धारित की गयी अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधि 1962 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमावली 1966, शैक्षिक नियमावली 2016 एवं अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क बीन अवधि इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,000.00 प्रतिवर्ष, दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु रू० 40,000.00 प्रतिवर्ष एवं छः वर्ष की अवधि पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय स्नातकोत्तर के अतिरिक्त) हेतु रू० 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम की छात्र/छात्रा से लेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूपान्तर में उपयोग तथा शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेश मानने होंगे, और यह शुल्क कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो उसे भी मानना होगा।

संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उत्तर प्रदेशीय, सरकारी की सम्बद्ध शिक्षा संस्था, नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

संस्था में संबुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि वे निर्धारित पूर्व की तिथि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

PRINCIPAL
S.G.S. COLLEGE OF PHARMACY
JALKHAKIYA, BAHELIPUR, MATHURA

संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई/एनसीटीई आदि से अनापत्ति का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अनुदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

द्वितीय पूर्व फार्मेसी पाठ्यक्रम की संबद्धता यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का कोई कार्य प्रभार किया जाता है तथा प्रभार कार्य के संबंध में न्या. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल रोकटोक अथवा निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिकूल संबंधित संस्था को करनी होगी।

द्वितीय पूर्व फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अपना संस्था का पद भरने प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नियम/शासनादेश निर्गमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वित्तीय पूंजी भूमि, भवन, स्टाफ, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संस्था को निरीक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष उपलब्ध अन्य भवन, अधिशेष, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

संस्था के प्रवेश निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य शैक्षणिक एआईसीटीई/पीसीआई/एनसीटीई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता2021/3538-4800

दिनांक: 03/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक S.G.S. COLLEGE OF PHARMACY, MATHURA

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

PRINCIPAL
SGS COLLEGE OF PHARMACY
JALANPATI, RASULPUR, MATHURA

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशिक्षा/ परिषद लखनऊ/2020/1871 लखनऊ: दिनांक: 16-6-2020

–कार्यालय ज्ञाप–

प्राविधिक माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु निर्गत मानक व्यावसायिक शिक्षण योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध/सम्बद्ध निकाय संचालित किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद मुख्यालय में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग पद्धति/ वेबिनार के माध्यम से समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/उन्नयन/ शोध संस्था पूर्व संचालित संस्था को शिफ्ट करने तथा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-2 में निर्णयित द्वारा प्रदेशीय पॉलिटेक्निक संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सम्बद्धता समिति द्वारा पहले विस्तार-विस्तार का निर्णय लिया गया।

"विभागीय स्तर से स्थापित निर्णयों द्वारा प्रदेशीय पॉलिटेक्निक संचालित करने वाली निर्णयन समिति (सम्बद्धता) शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एआईसीटीई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु स्वीकृत अनुमोदित विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदित विस्तार के अनुसार उनके सत्र के सम्बद्ध प्रविष्ट पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता को सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं एआईसीटीई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदित विस्तार के अनुक्रम में परिषद में सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-06-2020 की अनुक्रम सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निदेशालय को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के अध्यक्ष द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पॉलिटेक्निक को पत्रांक अंकित करने तथा सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है –

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/डीटीई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	सिविल विभाग अनुक्रम संख्या [illegible]	60	60
			सिविल विभाग प्राविधिक शाखा [illegible]	60	60
			वेब डिजाइन एवं विकास	60	60
			सिविल विभाग एवं [illegible]	60	60
			सिविल विभाग एवं सम्बद्ध प्राविधिक शाखा [illegible]	60	60
			विभाग एवं समिति	60	60

अनुपालन हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/डीटीई द्वारा निर्गत की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रबन्ध समिति प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 2020, विनियम विनियमावली 2020 तथा उक्त निर्गत निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निदेशक समिति द्वारा निर्गत मुख्य फीस समिति प्रवेश पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, तथा समिति पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं इस प्रकार की समिति पाठ्यक्रमों हेतु समिति पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु

PRINCIPAL
SGS COLLEGE OF PHARMACY
JAGABINTI, BAGUPUR, BATHAJHA

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(डॉ० [illegible] सिंह)
सचिव

पृ०सं०- [illegible]/[illegible]/2020/ [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि- [illegible]

(डॉ० [illegible] सिंह)
सचिव

PRINCIPAL
BRR COLLEGE OF PHARMACY
JAJMAU, KANPUR (U.P.)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- प्रशिक्षु/परिषद सम्बद्धता/2019/1102 दिनांक: 15-6-2019

- कार्यालय ज्ञाप-

प्राविधिक सत्रावधि 16-17वीं शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सत्र 2018-19 हेतु विभिन्न व्यवसाय/ट्रेडों में शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सम्बद्धता/संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/विस्तारण/प्रवेश क्षमता वृद्धि/ट्रेडों हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-24 में पूर्व से सम्बद्ध विद्यालय द्वारा इकाई आवश्यकता सर्वेक्षण करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिनके द्वारा एक/दो नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार किया एवं इस शर्त के साथ एक/दो नवीन पाठ्यक्रमों को परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया कि संस्था का निरीक्षण परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा कर लिया जाये तथा निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर ही संस्था को एक/दो नवीन पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।"

अतः निम्नानुसार समिति संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा दिये गये संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इकाई संख्या वृद्धि सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/संबद्धता/विस्तारण/प्रवेश क्षमता वृद्धि सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

PRINCIPAL
SGS COLLEGE OF PHARMACY
JAGANPUR BAGHPAT, [illegible]

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] प्रमाणित प्रति को ही प्रदान किया जायेगा। जैसे के लिए [illegible] की तिथि से [illegible] के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ [illegible] अन्य-अन्य या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्धारित पत्र व्यवहार शुल्क जमा करना होगा।

✓ [illegible]

✓ [illegible] निर्धारित [illegible] के अनुसार [illegible] प्रदान करने के लिए [illegible] होगी।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] के लिए [illegible] के अनुसार [illegible] प्रदान करने के लिए [illegible] होगी। [illegible] के लिए [illegible] के अनुसार [illegible] के लिए [illegible] के अनुसार [illegible] के लिए [illegible] के अनुसार